न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	30/4/26 पक्ष कथन के अधिवक्ता उपस्थित है। अभाव वकील को अवसर दिया जाता है। अन्तिम अवसर दिया जाता है। 11/5/26 को पेश करें।
	11/5/26 वादी के पक्षकथन स्थगन आदेश अनुसार दि. 25/05/26 को पेश करें।
	25/5/26 वादीया एवं उसके वकील साहब उपस्थित नहीं है। कई बार रनक-2 की आवाजे दिलाई तो वादिया की तरफ से कोई उपस्थित नहीं आया। समय अदालत की समाप्ति पर है। अतः वादिया की अनुपस्थिति दर्ज की जाकर वादिया का वाद उदय हाजरी उदय पैरवी में खारिज किया जाता है। वाद तदानुसार निर्णीत होकर पश्चात वाद तकमील प्रमाण अभिलेखालय आदी भेजे।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (खैरथल-तिजारा) राज.